

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नं०:- 0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल:- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4(ई)(आर-3077 / 2013) / अलेसे-III / २५

दिनांक:- 03-02-2021

कार्यालय आदेश

श्री राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान आमेर, जयपुर को वित्त (ग्रुप-2) विभाग के आदेश दिनांक 13.03.1984 के अन्तर्गत चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा दिनांक 05.01.2021 के आधार पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश दिनांक 25.04.2012 के अनुसरण में मूल वेतन का 6 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 600/-) प्रति माह वाहन भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति दिनांक 05.01.2021 (चिकित्सा प्राधिकारी की अभिशंषा) से प्रभावी होगी।


(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4(ई)(आर-3077 / 2013) / अलेसे-III / २५

दिनांक:- 03-02-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान आमेर, जयपुर।
2. श्री राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान आमेर, जयपुर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)